

“स्वच्छ भारत मिशन”-शहरी

अंतर्गत

वार्ड - आई०ई०सी० प्लान

नगर विकास एवं आवास विभाग

राज्य शहरी विकास अभिकरण

वार्डों के लिए प्रचार-प्रसार हेतु प्लान

वार्ड IEC प्लान

वार्ड स्वच्छता समिति द्वारा तैयार किया गया –“वार्ड IEC प्लान ”

वार्ड का एक नजरिया मानचित्र बनाना है जिसमें खुले में शौच की प्रथा को पूरी तरह समाप्त करने है। इस हेतु विभिन्न प्रचार-प्रसार के माध्यमों से लोगों को जागरूक करने हेतु वार्ड का IEC प्लान बनाया जाना है। मानचित्र बनाने में अनुलग्नक – (I) में दिए गए चिन्हों एवं रंगों के संकेत का प्रयोग करें।

1. निकाय का नाम :
2. वार्ड संख्या :
3. वार्ड का क्षेत्रफल)Sq. Kilometer/ हेक्टेयर :
4. वार्ड की कुल जनसँख्या :
5. नजरिया मानचित्र :

वार्ड का मानचित्र यहाँ लगाएं /बनाएं

उदाहरण के तौर पर मानचित्र नमूना संलग्न (अनुलग्नक – II) देखें

वार्ड IEC प्लान (प्रचार-प्रसार हेतु योजना) बनाने हेतु दिशानिर्देश :-

“स्वच्छ भारत मिशन – शहरी” अंतर्गत वार्डों में गठित स्वच्छता समिती के सदस्य अपने वार्डों की पूर्ण स्वच्छता हेतु स्वयं जिम्मेदार होंगे। समिती के सदस्य आवश्यक निर्णय लेने हेतु सक्षम होंगे। इस के लिए स्वच्छता समिती को आगे बढ़ कर सर्वप्रथम अपने वार्ड का एक IEC प्लान (प्रचार-प्रसार हेतु योजना) तैयार करना होगा जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके एवं वार्डों को खुले में शौच से मुक्त किया जा सके। साथ ही वार्डों में स्वच्छता एवं स्वास्थ्य हेतु लोग जागरूक हों। समिती के सदस्यों को एक मानचित्र तैयार करना होगा जिसके द्वारा यह तय किया जा सकेगा कि किन स्थलों पर किस प्रकार की प्रचार-प्रसार के माध्यमों का इस्तमाल किया जाएगा जिससे ज्यादा प्रभाव पड़े। IEC प्लान निम्न चरणों में तैयार किया जा सकता है।

प्रथम चरण

एक दिन सुनिश्चित कर वार्ड स्वच्छता समिती के सभी सदस्य पेन एवं कापी लेकर पुरे वार्ड का भ्रमण कर वार्ड में स्थित सभी स्थलों, संस्थानों स्कूलों इत्यादि का पूर्ण विवरण प्राप्त करेंगे।

द्वितीय चरण

वार्ड समिती के सदस्य अपने वार्ड का एक मानचित्र बनायेंगे जिसमें अनुलगनक -(I) में दिए गए चिन्हों एवं रंगों को मानचित्र पर अंकित करेंगे। उदाहरण के तौर पर एक मानचित्र तैयार कर संलग्न है।

तृतीय चरण

सर्वसम्मति से वार्ड का IEC प्लान बनाने के क्रम में नीचे दिए गए स्थलों को चिन्हित करना आवश्यक होगा जैसे मुख्य सड़कें, होर्डिंग लगाने हेतु स्थल का चयन, शिक्षण संस्थान इत्यादि। सभी चिन्हित जगहों का कोड (color code & Symbols) रंगों एवं सिम्बोल के माध्यम तैयार किया जाएगा। मानचित्र पर स्थान के अनुसार उन्हें अंकित करेंगे। जैसे शैक्षणिक संस्थान हेतु चिन्ह - © अस्पतालों एवं क्लिनिक इत्यादि हेतु चिन्ह - + का प्रयोग करेंगे।

चौथा चरण

स्वच्छता समिती के सभी सदस्य वार्ड का IEC प्लान बनाने हेतु तालिका में दिए गए बिन्दुओं को यथा स्थान मानचित्र पर उतारेंगे। मानचित्र के आधार पर यह स्पष्ट हो जाएगा किसमिती कौन सा कार्य, कहाँ करेगी और कब करेगी। अगर संभव हो तो स्वच्छता समिती

तैयार किया गया IEC प्लान सूचना पट पर भी लगा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर वार्ड में नुक्कड़ नाटक होना है तो ,यह पहले ही मानचित्र पर होगा कि किन-किन स्थानों पर नुक्कड़ नाटक किया जा सकता है। अतः उसके आधार पर वार्ड/मोहल्ले के सभी लोग वहां निर्धारित दिन और समय के अनुसार एकत्रित हो जाएंगे।

A. वार्ड के सभी मुख्य स्थानों को चिन्हित करना। जैसे:-

1	वार्ड के सभी शिक्षण संस्थानों को चिन्हित करना। (स्कूल एवं कालेज)
2	सरकारी भवनों की संख्या एवं स्थल को चिन्हित करना।
3	वार्ड के सभी धार्मिक स्थलों को चिन्हित करना।
4	वार्ड के सभी मनोरंजन स्थलों (पिक्चर हाल) को चिन्हित करना।
5	वार्ड के मुख्य सड़कों को चिन्हित करना।
6	वार्ड में स्थित चौक चौराहों को चिन्हित करना।
7	वार्ड में स्थित बस स्टैंड के जगहों को चिन्हित करना।
8	वार्ड में स्थित रेलवे स्टेशन (अगर हो) को चिन्हित करना।
9	वार्ड के ऑटो स्टैंड इत्यादि जगहों को चिन्हित करना।
10	वार्ड में स्थित अस्पतालों को चिन्हित करना।
11	ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जहाँ सूचना पट लगाई जा सकती है।
12	ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जहाँ होर्डिंग्स लगाई जा सकती है।
13	ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जहाँ wall पेंटिंग /दीवार लेखन कराई जा सकती है।
14	ऐसे स्थलों को चिन्हित करना जहाँ नुक्कड़ नाटक की जा सकती है।
15	वार्ड के OD स्पॉट्स को चिन्हित करना एवं उनको ODF करना ।
16	वार्ड में स्थित तालाब, पहाड़ इत्यादि
17	वार्ड में स्थित बाजार एवं हाट के स्थलों को चिन्हित करना

IEC प्लान तैयार करने का समय

सभी वार्डों को वार्ड IEC प्लान तैयार करने हेतु एक महीने का समय दिया गया है। सभी वार्ड एक महीने में अपना IEC प्लान ,फोटोग्राफ्स सहित निकाय को उपलब्ध कराएँ। निकाय सभी वार्ड के प्लानों को संकलित कर विभाग को उपलब्ध कराएँ।

"वार्ड स्वच्छता समिती" द्वारा की जाने वाले कार्य

"वार्ड स्वच्छता समिती" - एक ऐसी समिती जो निकायों द्वारा हर नगर निकाय के प्रत्येक वार्ड में गठित की गई है। समिती के उत्तरदायित्व निम्नवत होंगे:-




- i. वार्ड को स्वच्छ एवं साफ़ रखने हेतु प्रचार प्रसार के किन तरीकों को काम में लाया जा सकता है और कैसे यह निर्णय द्वारा लिया जा सकता है "वार्ड स्वच्छता समिती"।
- ii. गतिविधियों का आयोजन करना एवं इसमें लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने में यह समिती प्रभावी होंगे।
- iii. स्कूलों में प्रतियोगिताएं आयोजित करने हेतु आवश्यक बातचीत करना एवं तैयारी करना ।
- iv. गली एवं मुहल्लों में नुककड़- नाटक का दिन एवं स्थल चयन करने का कार्य समिती करेगी।
- v. ऑडियो एवं विजुअल /स्लाइड शो के स्थल एवं समय का निर्धारण समिती द्वारा किया जाएगा।
- vi. समिती यह सुनिश्चित करेगी कि गतिविधियों को वार्डों में अवश्य करें जैसे: स्कूली बच्चों के बीच कार्यक्रम (slogan competitions,quiz competition, drawing competition), कालेजों में भी जागरूकता सम्बन्धी नुककड़- नाटक गतिविधियाँ सुनिश्चित करेंगे।
- vii. स्कूलों के दीवारों पर स्वच्छता स्लोगन ,स्वच्छता सन्देश एवं पेंटिंग करवाना सुनिश्चित करें।
- viii. होर्डिंग्स जैसे जगहों पर लगावें जहाँ अधिक से अधिक लोग इसे देख सके। स्थान का निर्धारण वार्ड स्वच्छता समिती सर्व सहमती से ले सकती है ।
- ix. अपने किये गए कार्यों एवं गतिविधियों का संकलन (वार्ड का IEC प्लान) निकाय को अवश्य उपलब्ध कराएँ ।
- x. OD spots को प्राथमिकता देते हुए उन स्थलों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित करना ताकि लोग शौचालय निर्माण एवं उसका इस्तेमाल अवश्य करें।

वार्ड वार - IEC प्लान अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियाँ

क्र०सं०	गतिविधियाँ	गतिविधियों की संख्या
1	दीवार लेखन	किन स्थलों पर
2	दीवार पर चित्रकारी	कहाँ से कहाँ तक
3	होर्डिंग्स /बैनर लगवाना	किन क्षेत्रों में लगाया जाना है
4	पोस्टर/बैनर	कितने पोस्टर की आवश्यकता होगी एवं स्थल
5	स्कूलों में विभिन्न प्रतियोगिताएं (ड्राइंग , क्विज, स्लोगन) करवाना	कितने स्कूलों में किस प्रकार की गतिविधि करेंगे।
6	माइक द्वारा आवश्यकतानुसार पर प्रचार-प्रसार करवाना	सप्ताह में एक बार सभी मुहल्लों में
7	खुले में शौच के स्थलों /व्यक्तियों को चिन्हित कर कार्रवाई करें	प्रतिदिन OD स्थल निरीक्षण
8	नुककड़- नाटक , गीत इत्यादि का आयोजन	सप्ताह में कम से कम 1 बार
9	स्वच्छता उत्सव मनाना	महीने में एक बार
10	कालेजों /यूथ क्लबों में ऑडियो विसुअल /डाक्यूमेंट्री का प्रदर्शन एवं सफाई अभियान	महीने में दो बार
11	सप्ताह में एक दिन सफाई अभियान चलाना	महीने में चार बार
12	वार्ड में स्थित सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय की बाहरी दीवारों पर स्वच्छता संदेश अथवा चित्रकारी करवाना ।	आवश्यकता अनुसार
13	वार्ड के स्वच्छता दूत/स्वयं सहायता समूहों के साथ समिती ,माह में एक बार बैठक अवश्य करें।	महीने में दो बार
14	सूचना पट पर सूचना डालना /लिखना इत्यादि	आवश्यकता अनुसार
15	अन्य	

अनुलग्नक-1

चिन्हों एवं रंगों की तालिका (नजरिया मानचित्र के लिये):

क्र०स०	वस्तु/स्थानों के नाम	रंग/चिन्ह के प्रकार
1	अस्पतालों एवं क्लिनिक इत्यादि	
2	शैक्षणिक संस्थान (स्कूल, कालेज, संसथान)	
3	सामुदायिक स्थल	
4	सामुदायिक शौचालय/ मूत्रालय	
5	हाट एवं बाज़ार	
6	होर्डिंग्स	
7	बस स्टैंड	
8	सड़कें	
9	रेलवे स्टेशन	
10	OD spots	पिला रंग
11	नुककड़ नाटक स्पोर्ट्स	हरा रंग
12	धार्मिक स्थल	
13	wall painting हेतु स्थल	
14	सूचना पट	
15	चौक /चौराहा	
16	पिक्चर हाल	
17	नदी एवं तालाब	नीला रंग
18	पहाड़	
19	सरकारी भवन	

अनुलग्नक-II

उदाहरण मानचित्र

उदाहरण:-वार्ड न० -17,रांची नगर निगम क्षेत्र ,रांची

